

FORM-II
(For projects other than linear projects)
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR LAHAUL & SPITI DISTRICT.

No 2055 /SK(E) Dated 24.12.2014

TOWHOWSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that **4-75-03 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Himachal Pradesh Public Works Department** (name of user agency) for **Construction of Kiato Chicham to Chikzar Road & Dumping Site** (purpose for diversion of forest land) in Lahaul & Spiti District falls within jurisdiction of Mohal **Chikzar & Dhar Ladarse Gram Sabha Hull** in Tehsil Spiti.

It is further certified that:-

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4-75-03 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committees(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure **A-1 to A-4 annexure**
- b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and detail of proposed diversion. A copy of certificate issued by the **Gram Sabha Hull** village is enclosed as **annexure B-1**.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e) The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given consent to it.
- f) The rights of Primitive tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above




Collector,
(Hans Raj Choudhary) IAS
District Collector,
Lahaul & Spiti District

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT LAHAUL & SPITI (H.P.)
Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee of Lahaul & Spiti District,

Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /Chairpersonship of Mr. Hans Raj Chauhan Deputy Commissioner Lahaul & Spiti District on 24th December 2014 at 11.00AM at Keylong (Place) in which the application (s) of Gram Sabha, claiming right in Khasra No 1/1 area 3-09-84 hectares in Mohal Dhar Ladarse, Khasra No 1/1,1/1/1,2/1,106/1 area 0-53-44 Hectare in Mohal Chikzar total area 3-63-28 Hectare for Construction of Kiato Chicham to Chikzar Road and Khasra No 1/1/2 area 0-15-00 Hectare in Mohal Chikzar and Khasra No1/2,1/3,1/4,1/5,1/6& 1/7 area 0-96-75 Hectare in Mohal Dhar Ladarse total area 1-11-75 hectares for Dumping site and total area proposed to be diverted under (FCA 1980) 4-75-03 hectares in favour Himachal Pradesh Public Works Department, Forest areas under FRA2006,duly processed and recommended by the Sub Divisional Level Committee, Spiti were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted.

Sr. No	Name of applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	-------------------	----------------	------------------------

1.		Nil	
----	--	-----	--

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected

Sr. No	Name of applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	-------------------	----------------	------------------------

1.		Nil	
----	--	-----	--

OR

As informed by SDO@Spiti at Kaza ,no application was received from Hull Gram Sabha claiming right in Khasra No 1/1 area 3-09-84 hectares in Mohal Dhar Ladarse, Khasra No 1/1,1/1/1,2/1,106/1 area 0-53-44 Hectare in Mohal Chikzar total area 3-63-28 Hectare for Construction of Kiato Chicham to Chikzar Road and Khasra No 1/1/2 area 0-15-00 Hectare in Mohal Chikzar and Khasra No1/2,1/3,1/4,1/5,1/6& 1/7 area 0-96-75 Hectare in Mohal Dhar Ladarse total area 1-11-75 hectares for Dumping site and total area proposed to be diverted under (FCA 1980) 4-75-03 hectares forest area in favour Himachal Pradesh Public Works Department,

Place: Keylong

Date: 24-12-2014


 DC-cum-Chairman/Chairperson
 District Level Committee,

OFFICE OF THE SDO CIVIL, SPITI AT KAZA
DISTRICT LAHAUL AND SPITI (H.P)

Annexure-II

Proceedings of the meeting of Sub-Division Level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of Sub-Division level committee of Spiti Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr./
Ms. JAGAN THAKUR, SDO(Civil) Kaza on 14-11-2014 at 11.00 AM/PM at
Kaza (Place) in which the applications(s) of the applicant (s) of Hull Gram Sabha, claiming rights in Dhar Chikzai ^{2 Dhar Ladarse} Shara 16 $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{2}{1}, \frac{106}{1}, \frac{1}{2}$ Area 4.7503 ^{hac.} forest area(s) under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Hull Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee:-

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant were found to be in order and recommended for admissions to District level committee:-

Sr.No. Name of Applicant * Name of forest Detail of forest Right .

- 1 Nil -
- 2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant * Name of forest Detail of forest Right.

- 1 Nil -
- 2

As informed by- Hull Gram Sabha, no application was received claiming right in Dhar Chikzai ^{2 Dhar Ladarse} forest area.

Place:- Kaza

Date:- 14-11-2014

SDO(Civil)-Cum- Chairmen /Chairperson .
Sub-Divisional Magistrate

Spiti at Kaza

*Name of the people who have applied for admission of right in the said forest area.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा यांगो/हल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 4दिनांक 03-07-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा यांगो/हल की बैठक आज दिनांक 03-07-2014 को 11 AM बजे, स्थान यांगो में श्री/श्रीमति लोवसा वसी की अध्यक्षता में की गई जिसमें यांगो गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पिन्कजर चारलदार जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें हि. फुला/हि. कि विभाग द्वारा संरक्षित वन के निर्माण के लिए 4.7503 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

पिन्कजर चारलदार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान यांगोदिनांक 03-07-2014

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा संरक्षित वन अधिकार सचिव

- * ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....7.....

दिनांक 06-07-2014

ग्राम सभा.....एल.....की बैठक आज दिनांक 06-07-2014 को 11 AM
बजे, स्थान 4-चायत घर में श्री/श्रीमति सी-यंग डेवा की अध्यक्षता में की
 गई जिसमें पांगमी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत चिरुवा चारलदरवे
 ..जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें डि. फ्ले नि. वि. विभाग द्वारा सर्वेक्षण के निमाण के लिए
4.7503 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम
 सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की
 गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त
 इस ग्रामसभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क0सं0 *पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1.

2.

तदनुसार यह ग्रामसभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0सं0 *पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार दिवानर चारलदरवे जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान एलदिनांक 06-07-2014

सचिव
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....हल.....
विकास खण्ड.....हिपरी..... जिला.....लाहौर हिपरी..... (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....06/07/2014

गणपूर्ति.....90/115..... / M / F / 46 / 44

प्रस्ताव संख्या.....7

विषय:- हि 50 लो. डि. कि विभाग/संस्था को सम्पद आर्गनोवायरी चिचमदी
पिकर गांव के निर्माण हेतु पिकर गांव धार लदर
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 4.750 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....हल..... की बैठक आज दिनांक 06/07/14 को 11 AM
बजे, स्थान.....4.750 में की गई जिसमें हि 50 लो. डि. कि विभाग/संस्था को
सम्पद आर्गनोवायरी चिचमदी के निर्माण हेतु पिकर गांव जंगल/वन क्षेत्र
में प्रस्तावित 4.7503 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर
चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 4.7503 हैक्टेयर वन भूमि को सम्पद आर्गनोवायरी चिचमदी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा.....हल..... की सहमति दी जाती है।

स्थान.....हल.....
दिनांक.....06-07-2014

सचिव [Signature]
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा